कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

क्र./WDC-PMKSY 2.0/कृषि/22–23/5515 रायपुर दिनांक : 21-2-2023

//विज्ञापन//

रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड क्षेत्र में WDC-PMKSY-2.0 अंतर्गत जलग्रहण परियोजना संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA), रायपुर के पत्र क्र./668, 735, 989 रायपुर, दिनांक 29.09.2022, 18.10.2022, 27.12.2022 द्वारा जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र (WCDC) अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी), लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं जलग्रहण विकास दल (WDT) के WDT सदस्य (यांत्रिकी), WDT सदस्य (आजीविका), WDT सदस्य (विकास समूह) व लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।

अतएव निम्नानुसार संविदा पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है–

1. WCDC के स्वीकृत संविदा पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण–छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 1706, दिनांक 21.02.2012 एवं छ.ग. शासन, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्र. 1966, दिनांक 19.03.2020 के अनुरूप–

क्र.	स्वीकृत पद नाम	मैट्रिक्स वेतन	मसिक वेतन	पद संख्या	श्रेणी
1	तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी)	13	49000/–	1	अनारक्षित
2	लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	7	20900/–	1	अनारक्षित

क्र.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	संविदा नियुक्ति के तहत चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण	
1	तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी)	कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर/सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ–साथ मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि/उद्यानिकी/जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

2	लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	1. मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–9–4/2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। 2. किसी भी संस्था से टैली में न्यनतम 06 माह का डिप्लोमा। 3. किसी भी चार्टड एकांउंटेट (C.A.) से एक वर्ष का आर्टिकलसीप का अनुभव प्रमाण पत्र।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

2. WDT के स्वीकृत संविदा पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण–छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 507 दिनांक 12.06.2012 के अनुरूप–

क्र.	स्वीकृत पद नाम	मैट्रिक्स वेतन	मसिक वेतन	पद संख्या	श्रेणी
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	10	27,740/–	1	अनारक्षित
2	WDT सदस्य (आजीविका)	8	27,740/–	1	अनारक्षित
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	8	27,740/–	1	अनारक्षित
4	लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	6	20,900/–	1	अनारक्षित

क्र.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	संविदा नियुक्ति के तहत चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण	
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	**न्यूनतम**–बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)/बी.ई. सिविल/दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में। **वांछनीय** –मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि /उद्यानिकी /जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

2	WDT सदस्य (आजीविका)	**न्यूनतम**–बी.एस.सी. (कृषि /वानिकी/उद्यानिकी/मत्स्य) BV& AHSc **वांछनीय** –मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि /उद्यानिकी /जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	**न्यूनतम**–एम.बी.ए. अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ग्रामीण प्रबंधन/विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ सामाजिक कार्य (MSW)/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर **वांछनीय** –मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि /उद्यानिकी /जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
4	लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	**न्यूनतम**–मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–9–4/2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। **वांछनीय** –किसी भी संस्था से टैली में न्यनतम 06 माह का डिप्लोमा। किसी भी चार्टड एकांउटेंट (C.A.) से एक वर्ष का आर्टिकलसीप का अनुभव रखने वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

3. **नियुक्ति का तरीका** – सभी पदों पर चयन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप की जायेंगी।

3.1 नियुक्ति का प्राधिकारी – WDC-PMKSY 2.0 योजनांतर्गत समस्त संविदा पदों (WCDC एवं WDT) के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा–

WCDC **स्तर**	**नियुक्ति का प्राधिकार**
जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र के अंतर्गत WCDC के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC

WDT **स्तर**	**नियुक्ति का प्राधिकार**
परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत WDT के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC

3.2 चयन समिति का गठन :– उपरोक्त पदों में चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जावेगा–

WCDC **स्तर**	**अध्यक्ष**	**मनोनीत सदस्य**
जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र के अंतर्गत WCDC के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC	अध्यक्ष, द्वारा मनोनीत तीन सदस्य (उप संचालक कृषि सहित)

WDT **स्तर**	**अध्यक्ष**	**मनोनीत सदस्य**
परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत WDT के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC	अध्यक्ष, द्वारा मनोनीत तीन सदस्य (उप संचालक कृषि सहित)

4. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।

5. तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरूद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

6. मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत, योग्य अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

7. वेतन :–

7.1 उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

7.2 मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो CGSWMA द्वारा समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

8. आरक्षण

8.1 WDC-PMKSY2.0 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य/संभाग/जिला/ जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

8.2 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।

9. आयु सीमा– शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु–सीमा एवं छूट लागू होगी।

10. **नियुक्ति की अवधि–** संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना अवधि के समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

11. **अवकाश की पात्रता** – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।

12. **यात्रा भत्ता–** संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

13. **प्रसूति अवकाश :–** संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी अथवा संविदा नियुक्ति की कालावधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।

14. **अन्य शर्तें :–** CGSWMA के द्वारा समय –समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगे।

- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति अधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
- नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात, संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।
- किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 14/03/2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग कलेक्टोरेट कैम्पस रायपुर (छ.ग.) पिन कोड –492001 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना संभव नहीं होगा।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
- नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- लिफाफे के उपर आवेदित पद एवं परियोजना/विकासखंड का नाम अवश्य लिखें।
- आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25–25 रूपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना आवश्यक है।

15. जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व–भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी WDC-PMKSY 2.0 के गाइडलाईन के बिंदु क्रमांक 10.1.5 के अनुरूप होगी।

16. जलग्रहण विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व–भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी WDC-PMKSY 2.0 के गाइडलाईन के बिंदु क्रमांक 12.2 के अनुरूप होगी।

17. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य हेतु नियमावली–

1. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु जिले स्तर पर गठित WCDC एवं राज्य स्तर पर गठित CGSWMMA के द्वारा जारी नियमों का पालन किया जावेगा।
2. WDT को PIA/WCDC/CGSWMA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
3. WDT की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं WDT सदस्य द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
4. WDT की नियुक्ति के दौरान WDT सदस्य को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपात अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।
5. WDT की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।
6. WDT सदस्य माह में अधिकतम 20 दिवस तक PIA के द्वारा निर्देशित परियोजना क्षेत्रों के दौरे में रहेंगे। WDT द्वारा उनके सप्ताह के भ्रमण के दौरान की गई कार्यो का विवरण (Tour Dairy) PIA को सौपेंगे तदनुसार PIA द्वारा नियमानुसार (छ.ग. शासन के यात्रा भत्ता के समकक्ष) उनके यात्रा देयक पर भुगतान परियोजना के प्रशासनिक मद से किया जावेगा।
7. WDT के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA द्वारा किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) WDT को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

8. WDT की नियुक्ति PIA एवं WDT के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि किसी भी स्थिति में WDT द्वारा WDT का पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण / रिकार्ड / दस्तावेज संबंधित PIA को सौंपा जावेगा।
9. WDT पद छोड़ने के एक माह पूर्व तत्संबंधी सूचना PIA को देगा, अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खाते में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।
10. WDT द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।
11. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।

18. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु नियमावली–

1. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को PIA/WCDC/CGSWMA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
2. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
3. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपत अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।
4. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।
5. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
6. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति PIA एवं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि किसी भी स्थिति में लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण / रिकार्ड / दस्तावेज संबंधित PIA को सौंप कर जावेगा।
7. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद छोड़ने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना PIA को देगा। अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खातें में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।
8. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।
9. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
WCDC रायपुर

पृ.क्र. / WDC-PMKSY 2.0 / कृषि / 22–23 / 5516 रायपुर दिनांक : 21-2-2023

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी CGSWMA, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर लभाण्डी, रायपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह उपाध्यक्ष WCDC जिला पंचायत रायपुर को सूचनार्थ।
3. उप संचालक कृषि, जिला–रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क अधिकारी रायपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना अधिकारी, NIC जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तिल्दा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
WCDC रायपुर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदन पत्र

प्रति

उप संचालक कृषि
कृषि विभाग रायपुर
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

आवेदित पद का नाम :– ....

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
4. दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में :– ....
5. जाति वर्ग (अना/अजा/अजजा/अपिव) :– ....
6. स्थायी पता :– ....
   :– ....
   :– ....
7. डाक व्यवहार का वर्तमान :– ....
   पता एवं फोन नंबर :– ....
   :– ....
8. मूल निवासी :– ....
   (हां/नहीं) यदि हां तो प्रमाण
   पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. लिंग (महिला/पुरूष) :– ....
10. रोजगार कार्यालय का नाम :– ....
    पंजीयन क्रमांक/दिनांक :– ....
11. विकलांग (हां/नहीं) :– ....
    यदि हां तो विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि. /संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

(प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. कार्यानुभव :–

क्र.	कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	वेतन	कार्यावधि

(नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करें)

14. वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण :– ....

अ– नियोक्ता कार्यालय का नाम :– ....

ब– धारित पद का नाम एवं वेतनमान :– ....

15. यदि अभयर्थी के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरंण किसी :– ....

पुलिस थानों/न्यायालय में लंबित है अथवा

किसी न्यायालय में निराकृत हो चुके हैं? :– ....

यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित :– ....

प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी :– ....

स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम

संलग्न सहपत्रों का विवरण (संलग्न किये गये सहपत्र पर सही का निशान लगावें)

1. **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र** ☐
2. **शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र** ☐
3. **रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र** ☐
4. **अनुभव प्रमाण पत्र (अनुभव के संबंध में नियुक्ति आदेश संलग्न कराना अनिवार्य होगा)** ☐